

प्रेस नोट दिनांक 19.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा० न्यायालय एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में मु०अ०सं० 199/2020 धारा 147/149/323/427/504/506 भादवि एवं धारा 3(1)r/3(1)s/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित/वारण्टी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र फाल्गू प्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ग्राम बारौ नगरहन, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को उसके गांव बारौ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय कुमार पुत्र फाल्गू प्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ग्राम बारौ नगरहन, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० राहुल, उ०नि० श्री देवी दयाल वर्मा मय हमराह रि०आ० प्रदुम्न दुबे व रि०का० संजीव कुमार राम रि०आ० मिक्की सिंह, रि०आ० ब्यूटी कुमारी हो०गा० राजू यादव चालक का० सौरभ शर्मा , थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं०-01, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू वारंट, सेशन केस संख्या 45/2025 राज्य बनाम शुभम दुबे उर्फ बमबम तथा मु०अ०सं० 198/2024 धारा

109/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित/एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त चन्दिका शुक्ला पुत्र स्व० ज्ञानचन्द्र शुक्ला, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे शुक्लान, तिलौरी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

चन्दिका शुक्ला पुत्र स्व० ज्ञानचन्द्र शुक्ला, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे शुक्लान, तिलौरी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० मु० यूनस, हे०का० सुनील कुमार गुप्ता, का० हर्षवर्धन सिंह, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वारण्ट के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वारण्ट के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

प्रथम गिरफ्तारी- मा० न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, कोर्ट नं०-13, प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं०-10541/2020, मु०अ०सं०-149/2006, धारा 323/504/506/352/325/452 भादवि, थाना मान्धाता (वर्तमान थाना देल्हूपुर) से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राजा राम सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम बोझी, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 70 वर्ष को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय गिरफ्तारी- मा० न्यायालय श्रीमान स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट, प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं०-065/2026, मु०अ०सं०-32/2022, धारा 323/504/506/427/452 भादवि एवं धारा 3(1), 3(1)ध, 3(2)5A एससी/एसटी एक्ट, थाना देल्हूपुर से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सन्तोष सिंह पुत्र विजय बुल्लार सिंह निवासी ग्राम सरायगोविन्दराय लोहंगराय, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-राजा राम सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम बोझी, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 70 वर्ष।

2-सन्तोष सिंह पुत्र विजय बुल्लार सिंह निवासी ग्राम सरायगोविन्दराय लोहंगराय, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का0 उपेन्द्र कुमार व रि0का0 दीपक कुमार भारती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 राधेश्याम यादव मय हमराह हे0का0 नियाज रईन व रि0का0 दिपांशु सिंह थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा कम्पोजिट विद्यालय के रसोईघर का ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान कम्पोजिट विद्यालय कलापुर के रसोईघर से गैस सिलेण्डर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 19.09.2026 को कम्पोजिट विद्यालय कलापुर के प्रधानाध्यापक श्री श्यामलाल पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम नारायणपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना लालगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपियों द्वारा विद्यालय के रसोईघर का ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर चोरी कर बाउंड्री के उस पार ले जाया जा रहा था, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 365/26 धारा 305/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों 1. शिवम मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा निवासी ग्राम अमावां (नगरहन का पुरवा), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष 2. अमन मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम इनहन, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद इण्डेन गैस सिलेण्डर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवम मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा निवासी ग्राम अमावां (नगरहन का पुरवा), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

2. अमन मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम इनहन, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी:

01 अदद इण्डेन गैस सिलेण्डर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 अशोक कुमार यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ मय पुलिस टीम।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज एस0डी0/एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-02, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी प्रपत्र के अनुपालन में सेशन ट्रायल नं0-1706136/2004, अ0सं0-278/1990, धारा 380/411 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त पप्पू पुत्र राम सजीवन निवासी ग्राम राईपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 20.09.2026 को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह रि0का0 आन्जनेय कुमार रक्षित, पीआरडी इमामउद्दीन एवं चालक पीआरडी संदीप कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW वारंट से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंट एवं दबिश के दौरान माननीय न्यायालय एसीजेएम-13, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेशिका से सम्बन्धित 01 नफर NBW वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय एसीजेएम-13, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेशिका केस नं० 3282/20, मु०अ०सं० 12/2000, धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त रघुवीर पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम हरिचेतपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़, की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त को उसके घर पर मौजूद पाया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका से अवगत कराते हुए ग्राम हरिचेतपुर से हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. रघुवीर पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम हरिचेतपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ०नि० विनोद सिंह यादव मय उ०नि० अलंकार यादव, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस म०उ०नि० वन्दना वर्मा, का० सुनील कुमार, का० अनिल यादव एवं रि०का० राकेश यादव द्वारा मु०अ०सं० 123/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित नामजद अभियुक्त शिवकुमार पाल पुत्र सुमेश्वर पाल निवासी ग्राम सीताराम का पुरवा जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत टेण्डा पूरे गजई तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवकुमार पाल पुत्र सुमेश्वर पाल निवासी ग्राम सीताराम का पुरवा जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

म०उ०नि० वन्दना वर्मा, का० सुनील कुमार, का० अनिल यादव एवं रि०का० राकेश यादव, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।